के बढ़ते खतरे तथा हरित क्षेत्र के विस्तार के लिये इस पर आवश्यक रूप से वनीकरण करने की आवश्यकता, अवैध कब्जे को रोकने और मृदा अनाच्छादन के रूकाव तथा ईंधन एवं चारे की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिये तथा उसके द्वारा वर्तमान प्राकृतिक वनों पर भार को कम करने और संरक्षित क्षेत्रों को दृष्टि में रखते हुये, सरकार पूरी तरह अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण के लिये, राज्य वन विकास निगमों की भागीदारी के साथ उद्योगों को शामिल करने पर विचार कर रही है जिससे केन्द्र एवं राज्य सरकारों, गैर सरकारी, संगठनों तथा सार्वजनिक सहकारिता की वनीकरण की स्कीमों के लिये प्रयासों में वृद्धि एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सके । विचारधीन स्कीमों की, इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों के ध्यानपूर्वक मूल्यांकन तथा परम्परागत अधिकारों के संरक्षण एवं ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों द्वारा ली जा रही छूटों को सुनिश्चित करने के बाद ही, अंतिम रूप दिया जायेगा, जैसी कि कल्पना की गई है, इस स्कीम का उद्देश्य, बायोमास की उपलब्धता, ईंधन की लकड़ी तथा चारे में वृद्धि करके, ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों को लाभ प्रदान करना तथा ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने के लिये रास्ते खोलना भी है ।

औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का अभाव

1088. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1993 तक 48 इकाइयों में अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाये गये थे, अब तक ऐसी कितनी इकाइयों को बन्द कर दिया गया है; और

(ख) इन्हें बन्द किये जाने के आदेश के बावजूद भी इन्हें अभी तक बन्द नहीं किये जाने के क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उन 48 इकाइयों में से अब तक 25 इकाइयां को बन्द कर दिया गया है जिन्होंने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं ।

(ख) सरकार ने सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिये हैं कि वे अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अधिनिर्धारित 17 श्रेणियों में बड़ी और मझोली इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मापदंडों का 30 जून, 1994 तक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें । राज्य बोर्डों को यह भी कहा गया है कि वे दोषी इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिये मामला-दर-मामला आधार पर इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति की पुनरीक्षा करें । उनसे यह भी कहा गया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति और उनके द्वारा इस प्रकार की दोषी इकाइयों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें । दोषी इकाइयो के विरुद्ध किसी राज्य बोड द्वारा जो कार्रवाई की जा सकती है, उसमें दी गई सहमति को वापस लेना अथवा पूर्व सहमति की वैधता समाप्त होने के मामले में नई सहमति जारी न करना, प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम देकर निर्देश जारी करना या समयबद्ध प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति न करने वाली इकाइयों के मामले में अंतत: उन्हें बन्द करने के आदेश जारी करना शामिल है ।

Air Pollution

1089. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether studies conducted in some developed countries indicate that air pollution by road system as compared to rail in terms of co-equivalence in 8

times for passenger and 30 times in freight transport;

(b) whether in the above context, the Ministry is aware that the freight traffic through rail has come down to about 40 percent. in 1991-92 compared to 38 percent. in 1950-51 whereas the freight traffic through road has increased to 60 percent. from 12 percent. in the same period;

(c) if so, what action is being taken by the Ministry of Environment and Forests to reduce the air pollution by pressurising the railways to increase the freight traffic through rail;

(d) whether Government are aware that as compared to 3,43,000 trucks on road in 1970-71, the same were about 16 lacs in 1991-92, what is the latest number of trucks on roads and what impact it is having on the air pollution specially in the urban centres; and

(e) what preventive measures are being taken by Government to check the air pollution caused by the ever increasing number of load carrying trucks?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Clasure of pollution industries in Rajasthan and Orissa

1090. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the number of polluting industries category-wise which have either been closed down or facing closure in the country particularly in Rajasthan and Orissa during the year 1993-94.

(b) what is the number of industrial units category-wise which have been given extension after having crossed the deadline of 31st December, 1993 (State-wise);

(c) what action has been taken or is proposed to be taken by Government against these units in the context of default to meet the standards of pollution control; and

(d) if so, what are the details thereof, and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The number of medium or large scale polluting industries category-wise in the country which have been closed down due to action taken by the respective State Pollution Control Boards is given below:

Distillery	12
Dyes & Dye Intermediate	2
Leather	2
Pharmaceuticals	3
Pulp & paper	1
Sugar	5
	25

In Rajasthan and Orissa no medium or large scale industry has been closed on account of non compliance of environmental standards.

(b) to (d) The Government have issued instructions to all the State Pollution Control Boards to ensure strict compliance of pollution control norms by all the large and medium units in the identified 17 categories of highly polluting indusries latest by June 30, 1994. The State Boards have also been asked to review the status of pollution control in these units on a case to case basis and to take necessary action against defaulting units. They were also asked to submit their reports to the Government